

02.04.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी स्वयं
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी
उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वाद पत्र
अदम पेशवी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरंत
तकमील होकर दायित्व दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर पुले न्यायालय
में सुनाया गया।

Mus
02.04.25
(किरणपाल)
R.A.S.